24.02.2021

श्री मनोज कुमार सिन्हा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर–पश्चिम रेल्वे अजमेर मंडल उपस्थित। प्रतिवादी श्री गुलाबराम सिंह पुत्र श्री रामसिंह, नॉमिनी एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म सं.01, आबूरोड़, जिला–सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी श्री प्रेमपालसिंह पुत्र श्री ओमवीर सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं वेंडर, मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म सं.01, आबूरोड़ एवं प्रतिवादी शिवाकान्त पाण्डेय पुत्र श्री सुरेशचंद्र पाण्डेय, खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार, मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन,

.....लगातार

मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

प्लेटफार्म सं.01, आबूरोड़ अनुपस्थित। प्रतिवादी गुलाबराम सिंह ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर श्री मनोज कुमार सिन्हा द्वारा मेरी आबूरोड रेल्वे स्टेशन स्थित यूनिट एक्सप्रेस फूड सर्विस से रिफाईण्ड सोयाबिन तेल का सेम्पल लिया गया था। दौराने जांच प्रयोगशाला द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाया गया। रेल्वे द्वारा 5 साल के टेण्डर अवधि में पहली बार कोई सेम्पल फेल हुआ है। उक्त गलती को मैं प्रार्थी स्वीकार करता हूं एवं भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही होगी, इसलिये मुझ प्रार्थी की मानवीय भूल/गलती को माफ करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी गुलाबराम सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी, फर्म मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म सं.1, आबूरोड़ द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार सिन्हा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी गुलाबराम सिंह ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मनोज कुमार सिन्हा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर मंडल दिनांक 17.5.2019 को समय 12.00 बजे दौराने गश्त खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु रिफ्रेशमेंट रुम, मैसर्स ऐक्सप्रेस फूड सर्विस, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म सं.1, आबूरोड़ पर गये। वहां पर वेन्डर एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से प्रतिवादी प्रेमपालसिंह पुत्र श्री ओमवीर सिंह उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रिफ्रेशमेंट रुम एवं उसके किचन के निरीक्षण के दौरान रिफ्रेशमेंट रुम के किचन में 15 किलोग्राम के टीन कंटेनर में लगभग 5 किलोग्राम रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल खुला रखा हुआ था, जिसकी गुणवता में सन्देह होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल को एकरुप कर के उसमें से 2 किलोग्राम रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल के नमूना सं. [illegible] R-589 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया। खाद्य विश्लेषक,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./404/Act/ 2019/450 दिनांक 24.5.2019 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म मैसर्स एक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म सं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं वेन्डर प्रतिवादी प्रेमपालसिंह द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी फर्म मैसर्स ऐक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफ्रेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 18,000/– (अक्षरे रुपये अठारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी गुलाबराम सिंह, नॉमिनी, मैसर्स ऐक्सेप्रेस फूड सर्विस, रिफेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि मैसर्स ऐक्सेप्रेस फूड सर्विस, रिफेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मंजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी गुलाबराम सिंह, नॉमिनी, मैसर्स ऐक्सप्रेस फूड सर्विस, रिफेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने फर्म मैसर्स ऐक्सेप्रेस फूड सर्विस, रिफेशमेंट रुम, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफार्म नं.1, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 18,000/– (अक्षरे रुपये अठारह हजार मात्र) का बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सिरोही द्वारा जारी डी.डी. नंबर 674881 दिनांक 24.2.2021 का इस न्यायालय में जमा करवाया। अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में सं[illegible] में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:02 IST
Reason: SelfAttested

24/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही